न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 24 / 2020

गुड्डी उर्फ कर्मजीत कौर पुत्री मलनसिंह पत्नी जरनैलसिह पुत्र हरनेकसिह जाति नाई साकिन बुगरा तहसील रामपुरा फूल जिला बठिण्डा (पंजाब)

–प्रार्थीया–

बनाम

1. शमशेर सिंह पुत्र हजूरा सिह
2. सरजीत कौर बेवा हजूरा सिंह
3. गंगू सिंह उर्फ गुरतेज सिंह पुत्र हजूरा सिह
4. कुलविन्द्र कौर बेवा अंग्रेज सिंह

   जाति नाई निवासी खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

5. कमलजीत सिंह आयु 18 वर्ष पुत्र अंग्रेज सिंह जाति नाई निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
6. राजविन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति नाई निवासी खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. प्रीतमसिह पुत्र श्यामसिह
8. बलविन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
9. इकबाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह

   जाति नाई साकिन काशीनगरी गली नं. 2, फिरोजपुर तहसील व जिला फिरोजपुर (पंजाब)

10. मनजीत कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति नाई निवासी रामनगर तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)
11. कुलजीत कौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति नाई निवासी संगरूर तहसील व जिला संगरूर(पंजाब)
12. लखवीर सिंह पुत्र कपूर सिंह
13. लीलाकौर पुत्री कपूरसिह
14. कालो कौर पुत्री कपूरसिह
15. जनको पुत्री कपूरसिह

    जाति नाई निवासी खरलियां साकिन खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

16. अमरजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह
17. कर्मजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह
18. बलजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह
19. करतारसिह पुत्र मलन सिंह

    जाति नाई निवासी खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ जिला हनुमानगढ़।

20. जसविन्द्रसिंह पुत्र मुखत्यारसिह
21. कर्मजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह पत्नी पप्पू सिंह

    जाति नाई निवासी फीडर रेल्वे वर्कशॉप फिरोजपुर छावनी, पंजाब।

22. भूमि विकास बैक लि.शाखा हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
24. उपपंजीयक पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल — प्रार्थीया
2. श्री मदन लाल पारीक — अप्रार्थी सं. 20 व 21
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 23

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:52:16 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

दिनांक:– 14/07/2020

अधिवक्ता प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीया की ओर से उक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जिसमें प्रार्थीया को अपनी सफलता की पूर्ण आशा व ठोष आधार है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के परिवार की वंशावली प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के पूर्वज मित सिंह के नाम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

चक 1 एस. जी. आर.के प.नं. 7/299 का किला नं.2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 की 3.795 हैक्टर व चक 3 एस. जी. आर. के प.नं. 5/308 का किला नं. 1 से 25 की 6.325 हैक्टर भूमि दर्ज कि प्रार्थीया के पूर्वज मित सिंह की मृत्यु के पश्चात मित सिंह की भूमि अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभक्त होकर प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित चक 1 एस. जी. आर. की 3. 795 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा अप्रार्थी सं. 22 व 23 के पिता मुखत्यार सिंह के नाम तथा वर्तमान मे अपने नाम व चक 3 एस. जी. आर. के प.नं.5/308 का किला नं. 1 से 4 की 1.012 हैक्टर भूमि में 2/3 हिस्सा अप्रार्थी सं.13 से 16 के पिता कपूर सिंह व 1/3 हिस्सा अप्रार्थी सं.20 व 21 के पिता मुखत्यार सिंह के नाम तथा वर्तमान मे अपने नाम व किला नं.5 से 11 की 1.771 हैक्टर भूमि में 2/3 हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पिता/पति हजूरा सिंह के नाम तथा 1/3 हिस्सा अप्रार्थी सं. 20 व 21 के पिता मुखत्यार सिंह के नाम तथा वर्तमान मे अपने नाम व किला नं.12 से 18 की 1.771 हैक्टर भूमि में 2/3 हिस्सा अप्रार्थी सं.6, 16,17, 18, के पिता गुरदेव सिंह के नाम व 1/3 हिस्सा अप्रार्थी सं. 20 व 21 के पिता मुखत्यार सिंह के नाम वर्तमान मे अपने नाम एवं किला नं. 19 से 25 की 1.771 हैक्टर भूमि में 2/3 हिस्सा अप्रार्थी सं.19 करतार सिंह के नाम व 1 / 3 हिस्सा अप्रार्थी सं. 20 व 21 के पिता मुखत्यार सिंह के नाम तथा वर्तमान मे अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवा लिया।

यह कि प्रश्नगत चक 1 एस. जी. आर.के प.नं. 7/299 का किला नं. 2,3,4,7,8,9,12,13,14,17,18, 19, 22, 23, 24 की 3.795 हैक्टर व चक 3 एस. जी.आर. के प.नं. 5/308 का किला नं.1 से 25 की 6.325 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के दादा मितसिंह की थी मितसिंह ने अपने जीवनकाल मे अपनी उपरोक्त कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 22.06.1971 को रोबरू गवाहान निष्पादित कर उसे उपपंजीयक सूरतगढ से प्रमाणित करवाई गई। मितसिंह द्वारा निष्पादित वसीयत मे मितसिंह ने अपनी उपरोक्त चक 3 एस जी आर के प. नं. 5/308 का किला नं.1 से 25 की 6.325 हैक्टर अर्थात 25 बीघा भूमि अपने पुत्र जो मुझ प्रार्थीया का पिता मलन सिंह है के पक्ष मे तथा चक 1 एस. जी. आर. के प.नं. 7/299 का किला नं. 2,3,4,7,8,9,12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 की 3.795 हैक्टर अर्थात 15 बीघा भूमि मे 1/2 हिस्सा अपने पुत्र मुझ प्रार्थीया के पिता मलन सिंह के नाम तथा 1/2 हिस्सा अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 20,21 के पिता मुख्त्यार सिंह के नाम निष्पादित की।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित चक 1 एस. जी. आर. के प.नं. 7/299 का किला नं.2,3,4,7,8,9,12,13, 14, 17, 18, 19,22,23,24 की 3.795 हैक्टर व चक 3 एस.जी. आर. के प.नं.5/308 का किला नं.1 से 25 की 6.325 हैक्टर भूमि जिसकी कि प्रार्थीया के दादा मितसिंह ने अपनी वसीयत निष्पादित की हुई थी का अप्रार्थीगण ने विधिविरूद्ध रूप से उक्त तथ्यो को छुपाते हुये अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा लिया तथा बिना किसी अधिकारिता के उक्त भूमि कई टुकडो मे विभाजित कर दी गई। कि प्रार्थीया के दादा मितसिंह द्वारा आज उका 21-12-69 निष्पादित दिनांक 22.06.1971 की वसीयत के आधार पर प्रार्थीया प्रश्नगत चक 3 एस जी आर की 6.325 हैक्टर भूमि मे अपने को 1/5 हिस्से की तथा चक 1 एस जी आर की 3.795 हैक्टर भूमि मे 1/10 भाग की खातेदार कृषक होने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। कि अप्रार्थीगण वादपत्र की चरण सं.3 में वर्णित प्रश्नगत भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई भूमि का अनुचित लाभ उठाते हुए तथा प्रार्थीया को प्राप्त हुई पैतृक भूमि से वंचित करने के दुर्भावना पूर्वक आशय से एवं प्रश्नगत भूमि में बिना कोई हक व हिस्से का निर्धारण करवाये अपने नाम होने का लाभ उठाते हुए भूमि विक्रय करने व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने के लिये प्रयासरत [illegible] कारण प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति [illegible] रूप से प्रार्थीया के पक्ष में होने से प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की [illegible] निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना [illegible] वर्णित प्रश्नगत भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण व राजस्व रिकार्ड में किसी तरह से [illegible]र्तन नही करे तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार से दखलदाजी नही करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:52:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रार्थीया पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की वादकालिन निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वे चक 1 एस. जी. आर. के प.नं. 7/299 का किला नं.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

2,3,4,7,8,9,12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 की 3.795 हैक्टेयर व चक 3 एस.जी.आर. के प.नं.5/308 का किला नं. 1 से 25 की 6.325 हैक्टेयर भूमि को किसी रूप में अन्तरण नही करे तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार से दखलदाजी नही करे व रिकार्ड में किसी रूप में कोई परिवर्तन नही करवाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट बहस अधिवक्ता प्रार्थी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई जिसपर दिनांक 03.03.2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 20 व 21 की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा मय जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं. 20, 21 की और से प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है। जवाब अप्रार्थी संख्या 20 व 21 के तथ्य निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है परन्तु उसमें प्रार्थीया को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 21 का नाम जानबूझकर कर्मजीत कौर अकिंत किया है जबकि सही नाम परमजीत कौर है जो राजस्व अभिलेख में अकिंत है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 20, 21 का पता भी गलत अकिंत किया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित वंशावली को साबित करने का भार प्रार्थीया पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित भूमि के अलावा चक 4 एसजीआर के प. नं. 4/308 किला नं. 6/2/.089, 15, 16, 25 की 0.848 हैक. भूमि मित सिंह की भूमि थी जिसमें हम अप्रार्थीगण के पिता मुखत्यार सिंह का 0.253 हैक. हिस्सा है जो राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित यह तथ्य कि अप्रार्थीगण नें राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत कर राजस्व रिकार्ड में मुखत्यार सिंह व अप्रार्थी सं. 20, 21 के नाम दर्ज करवाई है कतई मिथ्यारचित एवं जानबूझकर अदालत को गुमराह करने की नियत से गलत दर्ज किये है जो अस्वीकार है। चक 1 एसजीआर की प्रशनगत भूमि में अप्रार्थी सं. 22, 23 के नाम कोई भूमि नही है। अप्रार्थी सं. 20, 21 के पिता का नाम मुखत्यार सिंह है। प्रशनगत दोनो चको व चक 4 एसजीआर की समस्त भूमि सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेख में अकंन हुआ है। जिसका प्रार्थीया को पूर्ण ज्ञान है। हम अप्रार्थीगण के पिता मुखत्यार सिंह ने प्रार्थीया के पिता के विरूद्ध न्यायालय सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर में दावा धारा 88, 183 राका अधि अनवान मुखत्यार सिंह बनाम मलन सिंह आदि पेश किया। इस दावा प्र.सं. 115/72 को स्वीकार कर दिनांक 02.07.1973 को दावा डिक्री कर मुखत्यार सिंह को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया। प्रार्थीया के पिता मलन सिंह द्वारा दिनांक 26.05.1975 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व्य.प्र.स. का पेश किया जो दिनांक 16.04.1976 को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 02.07.1973 को निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतू आदेश पारित किये गये। दौराने दावा मलन सिंह के फौत होने पर उनके सभी वारीसान कपूर सिंह, गुड्डी आदि को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। इन द्वारा जबाब दावा पेश किया। न्यायालय द्वारा तनकी कायम कर दोनो पक्षो के साक्ष्य सबूत व सुनवाई कर दिनांक 06.09.1985 को दावा स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित कर वादी मुखत्यार सिंह को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी कपूर सिंह, हजूर सिंह, गुरदेव सिंह, करतार सिंह, गुड्डी को 1/3 हिस्सा ब. हि.ब. तथा महेन्द्र सिंह, प्रीतम सिंह को 1/3 हिस्सा का काश्तकार घोषित किया गया। न्यायालय नें अपने निर्णय व डिक्री में धारा 88 राकाअधि अनतोष प्रदान करते हुए यह आदेश पारित किया कि कब्जा का अनुतोष नही दिया जा सकता क्योंकि सरकार भू धारक पक्षकार नही है। भूमि सह खातेदारी की भूमि है। वादी ने कब्जा का अनुतोष नही चाहा है। वादी को धारा 53 राका अधि का वाद लाना चाहिये था जब तक विभाजन नही हो जाता कब्जा का अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है। इस डिक्री के पश्चात तीनो चको की भूमि में 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेख में मुखत्यार के नाम दर्ज हो गया है। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.1985 के विरूद्ध प्रार्थीया की माता शाम कौर ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 19 नियम 13 व्य.प्र.स. प्र.सं. 60/1978 अनवान शाम कौर बनाम मुखत्यार सिंह न्यायालय सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ में पेश किया जो दिनांक 12.02.1990 को खारिज हो चुका है। इस समस्त कार्यवाही निर्णय व डिक्री की प्रार्थीया को पूर्ण जानकारी है। प्रार्थीया गुडडी ने न्यायालय सहायक जिलाधीश के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.1985 के विरूद्ध 19 साल बाद एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:32:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अपील अनवान गुड्डी बनाम मुखत्यार सिंह आदि अपील सं. 113/04/223 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के पेश की थी जो दिनांक 28.11.2011 को खारिज हो चुकी है। इस प्रकार निर्णय व डिक्री दिनांक 06.091.985 अंतिम हो चुका है। सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेख में अकंन हुआ है। चित्रप्रति निर्णय व डिक्री दिनांक 02. 07.1973, 06.09.1985, प्रार्थना पत्र मलन सिंह बनाम मुखत्यार सिंह, प्रार्थना पत्र शाम कौर बनाम मुखत्यार सिंह निर्णय दिनांक 12.02.1990 सलग्न है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई गलत व मिथ्यारचित है स्वीकार नही। मित सिंह की निर्वसीयत मृत्यु हुई थी। उन्होने कभी भी कोई वसीयत नही करवाई थी। प्रार्थीया व उसके भाई भतीजो ने आपस में मिलकर फर्जी एवं कूटरचित तथाकथित वसीयत दिनांक 22.06.1971 तैयार की है जबकि मित सिंह की मृत्यु दिनांक 07.08.1970 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु बाद यह वसीयत तैयार की गई है। सक्षम न्यायालयो द्वारा पूर्व के पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.1985 में भी तथाकथित वसीयत के आध आर पर प्रार्थीया व उनके भाईयो ने अनुतोष चाहा था। जिस पर तनकीयात कायम की गई। इस दावा मुखत्यार सिंह बनाम कपूर सिंह आदि में इन द्वारा वसीयत साबित व सिद्ध नही होने के कारण सभी तनकीयात इनके विरूद्ध तय की जाकर वादी का दावा डिक्री किया गया था। जिसका वर्णन जबाब दावा की दफा 4 में किया गया है। श्री मित सिंह द्वारा कोई वसीयत निष्पादित नही की गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी तीनो चको की समस्त भूमि विरास्तन उनके दो पुत्रो मलन सिंह, मुखत्यार सिंह व एक पुत्री जसोदा देवी को प्राप्त हुई और उसी प्रकार राजस्व अभिलेख में अकंन हो चुका है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई गलत मनगढ़त व विधि विरूद्व है। प्रार्थीया ने समस्त सही तथ्यो एवं पूर्व में सक्षम न्यायालयो के आदेश व डिक्री को छुपाते हुए यह झूठा व गलत दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कतई गलत व चलने योग्य नही है। प्रशनगत भूमि में प्रार्थीया का मुखत्यार सिंह व हम अप्रार्थी सं. 20, 21 के नाम दर्ज भूमि में किसी भी तरह का कोई हक हिस्सा नही है। प्रार्थीया अब किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नही है। तथाकथत वसीयत श्री मित संह की मृत्यु के बाद फर्जी एवं साजिशाना तैयार की गई है जो प्रभावहीन एवं शुन्य दस्तावेज है । सक्षम न्यायालय द्वारा इस वसीयत सम्बंध विवादक का पूर्ण साक्ष्य एवं सबूत लेकर इस वसीयत को साबित एवं सिद्ध नही होने बाबत आदेश व डिक्री जारी हो चुकी है। इसलिये प्रार्थीया को उसी भूमि बाबत उसी तथ्य पर दावा व प्रार्थना पत्र करने की हकदार नही है। प्रार्थीया का किसी भी भूमि के किसी भी अंश पर कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार नही है। रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीया नें बिना हक हिस्सा के हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर स्थंगन चाहा है। जो कतई गलत व विधि विरूद्व है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका हैं जिसके तथ्य इस प्रकार है कि –यह कि वाद पत्र की दफा 1 कानूनी है। यह कि वाद पत्र की दफा 2 लाईल्मी है जिसे वादी स्वयं सिद्ध करे। यह कि वाद पत्र की दफा 3 व 4 राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में पटवार हल्का रिपोर्ट अनुसार चक 1 एसजीआर बी प0नं0 7 /299 (1) किला नं0 2 ता 4. 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 की कुल 3.795 है0 भूमि जसविन्द्रजीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह 1/6 हि० परमजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह 1/6 हि० जाति [illegible] फिरोजपुर, मिन्तसिंह पुत्र रामादत्ता सिंह 2/3 हि० जाति नाई सा० खरलिया [illegible] राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। चक 3 एसजीआर प0नं0 5/308 (43) [illegible] भूमि कपूर सिंह पुत्र मलनसिंह 2/3 हि० जाति नाई [illegible] सिंह पुत्र मुखत्यारसिंह 1/6 हि० परमजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह 1/6 जाति [illegible] सिख सा० निजामद्दीन फिरोजपुर, प0नं0 5/308 (43) किला नं0 5 ता 11 की कुल [illegible] है० भूमि जसविन्द्रजीतसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह 1/6 हि0 परमजीतकौर पुत्री मुखत्यार सिंह 1/6 हि० जाति नाईसिख सा० निजामद्दीन फिरोजपुर हजूरासिंह पुत्र मलनसिंह 2 / 3 हि० जाति नाई सा० खरलिया, प0नं0 5/308 (43) 12 ता 18 की कुल 1.771 है० भूमि गुरदेवसिंह पुत्र मलनसिंह जाति नाई सा० खरलिया रहन भूमि विकास बैंक लि0 शाखा हनुमानगढ़ जसविन्द्रजीतसिंह पुत्र मुखत्यार सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:52:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1/6 हि० परमजीतकौर पुत्री मुखत्यारसिंह 1/6हि0 जाति नाईसिख निजामुद्दीन त० फिरोजपुर प0नं0 5/308 (43) किला नं0 19 ता 25 की कुल 1.771 है० भूमि करतार सिंह पुत्र मलनसिह 2/3 हि० जाति नाई सा० खरलिया जसविन्द्रजीतसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह 1/6 हि० परमजीतकौर पुत्री मुख्त्यारसिंह 1/6 हि0 जाति नाईसिख तह0 फिरोजपुर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। यह कि वाद पत्र की दफा 5 लाईल्मी है जिसे वादी स्वयं सिद्ध करे। यह कि वाद पत्र की दफा 6 कानूनी है। अतः जवाब स्टेट प्रस्तुत कर निवेदन है कि रास्ता, खाला की सुविधा, पैतृक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्यहित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि पूर्व में 1972 में दावा प्रस्तुत किया गया है कब्ज हमारा है। मा. राजस्व अपील अधिकारी के पास दावा चल रहा है। वाद पत्र को बाद साक्ष्य निर्णित होना है प्रथम दृष्टया मामला बनता है अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला अनवृत की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि 1973 में वाद पत्र मुखत्यार सिंह जो कि अप्रार्थी संख्या 20 व21 का पिता है के पक्ष में निर्णित हुआ है मलन सिंह ने उक्त वाद में जवाब नही प्रस्तुत किया है एवं जसौदा जो कि मनल सिंह व मखन सिंह की बहन है जिसके द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद निर्णय उपरान्त पुनः सुनवाई होने पर 1985 में विरासतन घोषणा की गई है। वाद की अपील 19 वर्ष बाद गुड्डी देवी की अपील खारिज की जा चुकि है। प्रार्थीया रिकार्डिड खातेदार भी नहीं है ना ही कब्जा है प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज का निवेदन किया गया।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टांतो का समान अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा साइटेशन प्रस्तुत की गई है –आरआरटी 2019 पेज संख्या 777 मा. उच्चतम न्यायालय, आरआरटी 2018 पेज संख्या 405 , 693, डीएनजे 1997 पेज संख्या 83 मा. उच्चतम न्यायालय, डीएनजे 2006 पेज संख्या 105 मा. उच्च न्यायालय। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना इस लिए उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थीगण निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोश में भूमि का दुर्व्यन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पूर्व में जारी निषेधाज्ञा भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक 14/05/20[illegible] को [illegible] इजलास सुनाया गया।
पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.06.02 15:52:16 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा